भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4211
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

केरल में आंगनवाड़ी का उन्नयन

4211. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा केरल में अवसंरचना और सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए आंगनवाड़ियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने आंगनवाड़ियों को डिजिटल शिक्षण सुविधाओं, बाल-हितैषी अवसंरचना, स्वास्थ्यकर सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आईसीडीएस योजना के अंतर्गत केरल में आंगनवाड़ियों के उन्नयन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई;
(घ) वर्तमान में किराए अथवा अस्थायी स्थानों पर चल रही आंगनवाड़ियों की संख्या कितनी है और केरल में केंद्रों के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ड.) क्या सरकार ने केरल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) केरल में पोषण अभियान को लागू करने और आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार लाने पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख सरकारी स्वामित्व वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को बेहतर पोषण प्रदायगी

और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है जिसमें एलईडी स्क्रीन, वॉटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना, पोषण वाटिका, ईसीसीई और बाला पेंटिंग्स उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान तक, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए अनुमोदित कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 1,70,337 है जिसमें केरल राज्य के 1960 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं जिनके उन्नयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 11.76 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है।

पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, केरल राज्य में कुल 33120 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं जिनमें से 7229 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में कार्यशील हैं। केरल में किराए के भवनों (पोषण ट्रैकर डेटा, नवंबर, 2024 के अनुसार) में कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का जिलावार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	जिला	किराए के भवनों में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	अलपुझा	934
2	एर्नाकुलम	675
3	इडुक्की	168
4	कन्नूर	290
5	कासरगोड	100
6	कोल्लम	836
7	कोट्टायम	639
8	कोझिकोड	454
9	मलप्पुरम	696
10	पलक्कड़	407
11	पथानामथिट्टा	489
12	तिरुवनंतपुरम	1045
१३	त्रिशूर	419
14	वायनाड	77
	कुल	7229

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंडों को 7 लाख रुपये प्रति एडब्ल्यूसी से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति एडब्ल्यूसी कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि से धनराशि प्राप्त करना जारी रखें। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ समन्वय में पिछले तीन वर्षों में केरल राज्य में निर्माण के लिए कुल 172 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मंजूरी दी गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए वित्त पोषण को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र करना शामिल है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किया गया है कि वे आंगनवाड़ी केन्द्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराये पर चल रहे हैं, निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां स्थान उपलब्ध हो।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन के प्रावधान के साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी के सभी कार्यकलापों की निगरानी के लिए अतिरिक्त समय मिलता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता भी प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्यकलाप करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु का वजन मापने वाला पैमाना, माता और बच्चे का वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

(ड.) भारत सरकार ने दिनांक 10 मई, 2023 को सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कौशल उन्नयन के लिए पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल आरंभ की ताकि दिव्यांग बच्चों सहित छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा पोषण सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्षमता निर्माण की परिकल्पना आंगनवाड़ी को एक शिक्षण केंद्र में बदलने के पहले कदम के रूप में की गई है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दो स्तरीय प्रशिक्षण मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है। निपसिड को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में स्थित पांच क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

टियर I में निपसिड मुख्यालय और इसके पांच क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और राज्य-नामित अतिरिक्त संसाधन व्यक्तियों सहित राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन (व्यक्तिगत रूप से) दोनों तरह के प्रशिक्षणों वाले हाइब्रिड मॉडल में दो दिनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, टियर II में देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए भौतिक मोड में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शामिल है।

इस मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सशक्त बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोषण के तहत दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएँ - "पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत "नवचेतना- जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा" और "आधारशिला- 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम" तैयार किया है।

दिनांक 16.12.2024 तक केरल राज्य सहित पूरे देश में कुल 25,938 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों और अतिरिक्त संसाधन व्यक्ति) और 71,845 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(च) 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि बेहतर पोषण सामग्री और प्रदायगी के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा सके। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुड़ाव, संपर्क, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि दुबलापन, ठिगनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को हराने के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले साल संशोधित और उन्नत किया गया है। पुराने मानदंड मुख्यतः कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि संशोधित मानदंड पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा घर ले जाने के लिए राशन तैयार करने के लिए मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम एवं उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रचार है जिसके तहत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण संबंधी पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर माह दो सामुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है।

******